भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-471

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

सौभाग्य योजना का कार्यान्वयन

471. श्री टी.जी. वेंकटेशः
डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचूः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऐसे घर, जहां अभी भी विद्युत नहीं है, के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के लिए भारतीय डाक की सहायता ले रही है;
(ख) क्या सरकार को राज्यों में विद्युतीकृत घरों की स्थिति के संबंध में कोई परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को आवंटित राशि की मात्रा तथा अब तक निर्मुक्त राशि का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी, हाँ। विद्युत मंत्रालय ने 5 राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में गैर-विद्युतीकृत घरों के सर्वेक्षण के लिए डाक विभाग की सहायता ली है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने सितंबर, 2017 में 12,320.00 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (डीबीएस) सहित 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-"सौभाग्य" शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी देना और सभी घरों को बिजली के कनेक्शन प्रदान करना है।

राज्यों में ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण की स्थिति सौभाग्य वेब पोर्टल पर संबंधित राज्य के डिस्कॉम द्वारा अद्यतन की जाती है। अभी तक राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 15 जनवरी, 2018 को देश में कुल 18.10 करोड़ ग्रामीण घर हैं, जिनमें से 14.16 करोड़ घरों (78.24%) का विद्युतीकरण हो गया है और शेष 3.93 करोड़ गैर-विद्युतीकृत घरों (21.76%) का विद्युतीकरण अभी किया जाना है।

सौभाग्य के अंतर्गत शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के कवरेज के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) राज्यों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाती है। अब तक, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर 151 डीपीआर (77 ग्रामीण ग्रिड + 27 ग्रामीण ऑफ ग्रिड + 47 शहरी) प्रस्तुत की है। सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृतियां, प्राप्त डीपीआर के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद की जाती हैं और संवितरण स्कीम की दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न क्रियाकलापों और लक्ष्यों की प्राप्ति पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। अभी तक, सौभाग्य के अंतर्गत कोई राशि संवितरित नहीं की गई है।

*** *** ***

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-472

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण

472. श्री मनीष गुप्ताः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ऐसे घरों की संख्या कितनी है जिनका अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है और प्रत्येक राज्य में ऐसे घरों की संख्या कितनी-कितनी है;
(ख) प्रत्येक राज्य के कुल गांवों में से उन गांवों का राज्य-वार औसत अनुपात क्या है जिन्हें बिजली प्राप्त हुई है; और
(ग) ऊपर उल्लिखित घरों को राज्य-वार औसतन कितने घंटे बिजली प्राप्त होती है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क): राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 15 जनवरी, 2018 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल 18.10 करोड़ ग्रामीण घर हैं जिनमें से 14.16 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 3.93 करोड़ घर गैर-विद्युतीकृत हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5.97 लाख आबादी वाले गाँव हैं इनमें से 31 दिसंबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार 5.95 लाख गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध किए जा रहे राज्य-वार घंटों की औसत संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

*** *** ***

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.472 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

***** *** *****

राज्य-वार गाँवों के विद्युतीकरण का ब्यौरा

15.01.2018 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	कुल ग्रामीण घरों की संख्या	कुल विद्युतीकृत ग्रामीण घरों की संख्या	गैर-विद्युतीकृत शेष ग्रामीण घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	11,307,804	11,307,791	13
2	अरुणाचल प्रदेश	230,818	149,690	81,128
3	असम	5,195,259	2,793,648	2,401,611
4	बिहार	12,786,812	7,043,547	5,743,265
5	छत्तीसगढ़	4,929,495	4,304,608	624,887
6	गोवा	128,208	128,208	-
7	गुजरात	6,673,460	6,673,222	238
8	हरियाणा	3,424,992	2,746,313	678,679
9	हिमाचल प्रदेश	1,470,529	1,457,804	12,725
10	जम्मू एवं कश्मीर	1,273,430	1,007,155	266,275
11	झारखंड	5,486,513	2,476,450	3,010,063
12	कर्नाटक	9,363,675	8,696,768	666,907
13	केरल	7,104,123	7,104,020	103
14	मध्य प्रदेश	11,485,955	7,171,852	4,314,103
15	महाराष्ट्र	13,947,231	13,606,525	340,706
16	मणिपुर	375,335	273,111	102,224
17	मेघालय	463,022	323,755	139,267
18	मिजोरम	110,386	99,430	10,956
19	नागालैंड	204,989	99,940	105,049
20	ओडिशा	8,501,882	5,283,111	3,218,771
21	पुडुचेरी	95,046	94,704	342
22	पंजाब	3,689,273	3,689,273	-
23	राजस्थान	9,150,183	7,149,395	2,000,788
24	सिक्किम	37,281	31,653	5,628
25	तमिलनाडु	10,285,848	10,285,848	-
26	तेलंगाना	5,963,923	5,580,243	383,680
27	त्रिपुरा	731,398	526,104	205,294
28	उत्तर प्रदेश	30,245,532	15,650,456	14,595,076
29	उत्तराखंड	1,732,666	1,547,585	185,081
30	पश्चिम बंगाल	14,659,597	14,363,132	296,465
कुल		**181,054,665**	**141,665,341**	**39,389,324**

*** *** ***

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.472 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

***** *** ******

2011 की जनगणना के अनुसार गाँवों के विद्युतीकरण की स्थिति

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**कुल 2011 की जनगणना के अनुसार गैर आबादी वाले की संख्या**	**कुल विद्युतीकृत गाँवों की संख्या (31.12.2017 की स्थिति के अनुसार)**
1	आंध्र प्रदेश	26,286	26,286
2	अरुणाचल प्रदेश	5,258	4,246
3	असम	25,372	25,212
4	बिहार	39,073	38,968
5	झारखंड	29,492	29,434
6	गोवा	320	320
7	गुजरात	17,843	17,843
8	हरियाणा	6,642	6,642
9	हिमाचल प्रदेश	17,882	17,875
10	जम्मू एवं कश्मीर	6,337	6,243
11	कर्नाटक	27,397	27,394
12	केरल	1,017	1,017
13	मध्य प्रदेश	51,929	51,856
14	छत्तीसगढ़	19,567	19,445
15	महाराष्ट्र	40,956	40,956
16	मणिपुर	2,379	2,358
17	मेघालय	6,459	6,425
18	मिजोरम	704	690
19	नागालैंड	1,400	1,396
20	ओडिशा	47,677	47,068
21	पंजाब	12,168	12,168
22	राजस्थान	43,264	43,196
23	सिक्किम	425	425
24	तमिलनाडु	15,049	15,049
25	त्रिपुरा	863	863
26	उत्तर प्रदेश	97,813	97,760
27	उत्तराखंड	15,745	15,711
28	पश्चिम बंगाल	37,463	37,463
	कुल राज्य	**596,780**	**594,309**

29	चंडीगढ़	5	5
30	दिल्ली	103	103
31	दमन व दीव	19	19
32	दादर व नगर हवेली	65	65
33	लक्षद्वीप	6	6
34	पुडुचेरी	90	90
35	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	396	396
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**684**	**684**
सकल योग		**597,464**	**594,993**

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.472 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

***** *** *****

नवंबर, 2017 माह के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध किए जा रहे राज्य-वार घंटों की औसत संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	विद्युत आपूर्ति की घंटों की औसत संख्या
1	आंध्र प्रदेश	23.87
2	अरुणाचल प्रदेश	14.30
3	असम	18.33
4	बिहार	16.77
5	छत्तीसगढ़	23.00
6	गुजरात	24.00
7	हरियाणा	14.57
8	हिमाचल प्रदेश	24.00
9	जम्मू एवं कश्मीर	13.5
10	झारखंड	16.89
11	कर्नाटक	17.20
12	केरल	23.00
13	मध्य प्रदेश	23.18
14	महाराष्ट्र	23.32
15	मणिपुर*	22.38
16	मेघालय*	21.50
17	मिजोरम	11.00
18	नागालैंड	20.00
19	ओडिशा	20.80
20	पंजाब	24.00
21	राजस्थान	22.00
22	सिक्किम	17.82
23	तमिलनाडु	24.00
24	तेलंगाना	24.00
25	त्रिपुरा	23.50
26	उत्तर प्रदेश@	17.43
27	उत्तराखंड$	23.52
28	पश्चिम बंगाल	24.00

* अक्तूबर, 2017 के आंकड़े, @ जून, 2017 के आंकड़े, $ जनवरी, 2017 के आंकड़े.

*** *** ***

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-473

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन

473. श्री मनीष गुप्ताः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नेशनल मिशन फॉर एनहान्सड एनर्जी एफिसिऐंसी (एनएमईईई) के अंतर्गत राजकोषीय साधनों का उपयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा कुशल आर्थिक विकास के लिए एक रूपरेखा का विकास करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) एफईईईडी कार्यक्रम के अंतर्गत निधि प्राप्त करने वाली निकायों की संख्या क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिसिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट (एफईईईडी) नेशनल मिशन फॉर एन्हांस्ड एफिसिएंसी एनर्जी (एनएमईईई) के अंतर्गत कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है। एफईईईडी के अंतर्गत निम्नलिखित दो निधियां बनाई गई हैं:

(i) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्त पोषण में जोखिम गारंटी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए पार्शियल रिस्क गारंटी फंड फॉर एनर्जी एफिसिएंसी (पीआरजीएफईई) है। 12वीं योजना के अंतर्गत अनुमोदित 311.58 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 70.08 करोड़ रुपये की राशि इस निधि के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को जारी की गई है।

(ii) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए साम्या सहायता उपलब्ध कराने के लिए वेंचर कैपिटल फंड फॉर एनर्जी एफिसिएंसी (वीसीएफईई) है। 12वीं योजना के अंतर्गत अनुमोदित 210 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 28.91 करोड़ रुपये की राशि इस निधि के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को जारी की गई है।

पीआरजीएफईई और वीसीएफईई के अंतर्गत हुई प्रगति नीचे दी गई है:

(i) एक संघ जिसमें, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) - आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) शामिल

हैं, को पीआरजीएफईई के प्रचालनीकरण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ii) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि) नियम, 2016 मई, 2016 में अधिसूचित किए गए हैं, तत्पश्चात् पीआरजीएफईई के लिए प्रचालन मैनुअल भी तैयार किया गया है।

(iii) आंध्र बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड को पीआरजीएफईई के अंतर्गत भागीदार वित्तीय संस्थान (पीएफआई) के रूप में पैनलबद्ध किया गया है।

(iv) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि) नियम, 2017 मार्च, 2017 में अधिसूचित किए गए हैं।

(v) वीसीएफईई न्यासी बोर्ड बनाया गया है और वीसीएफईई न्यास को पंजीकृत करा दिया गया है। निविदा प्रक्रिया के जरिए वीसीएफईई के लिए निधि प्रबंधक अभिचिह्नित किया गया है।

एफईईईडी कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी निकाय को अब तक कोई निधि जारी नहीं की गई है।

*** *** ***

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-474

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

टिहरी बांध से विद्युत उत्पादन

474. श्री महेन्द्र सिंह माहराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक उत्तराखंड के टिहरी बांध से हुई बिजली उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य को प्राप्त निःशुल्क विद्युत तथा प्राप्त हुई रॉयल्टी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी में वृद्धि किये जाने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : टिहरी बांध और एचपीपी (1000 मेगावाट) 2007-08 में चालू की गई थी। 2015 से 2017-18 तक परियोजना से उत्पादित विद्युत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	उत्पादित ऊर्जा (एमयू)
1	2015-16	3101.08
2	2016-17	3146.26
3	2017-18 (दिसंबर, 2017 तक)	2391.64

(ख) : राज्य सरकार को कोई रॉयल्टी नहीं दी जा रही है। तथापि, विगत 3 वर्षों के दौरान टिहरी बांध तथा एचपीपी (1000 मेगावाट) से उत्तराखंड राज्य को दी गई निःशुल्क विद्युत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	निःशुल्क ऊर्जा (एमयू)
1	2015-16	371.02
2	2016-17	376.45
3	2017-18 (दिसंबर, 2017 तक)	285.68

*अब तक एनआरपीसी द्वारा जारी किए गए क्षेत्रीय ऊर्जा लेखों के आधार पर।

(ग) और (घ) : कुल उत्पादित विद्युत के निर्धारित प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार को निःशुल्क विद्युत दी जाती है जो नदी में जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

*** *** ***

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-475

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत संबंधी जानकारी के लिए मोबाईल एप्लीकेशन

475. श्री महेश पोद्दारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधी जानकारी हेतु नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष मोबाइल एप्लिकेशन का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग की देश में तथा खासकर झारखण्ड में वर्तमान स्थिति, उपलब्धि, लक्ष्य एवं भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : जी, हाँ। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के लिए नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) द्वारा विशेष मोबाइल एप्लीकेशन "गर्व" और "सौभाग्य" विकसित किए गए हैं। इन मोबाइल एप में सभी पणधारकों की सूचना के लिए तथा पब्लिक डोमेन में सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित राज्य डिस्कॉमों द्वारा गाँव और घरों के विद्युतीकरण के आंकड़े अद्यतन किए जाते हैं।

इन एप का उद्देश्य झारखंड सहित देश में ग्रामीण विद्युतीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। इन एप का प्रयोग सभी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की परियोजना निगरानी के लिए भी किया जा रहा है।

*** *** ***

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-476

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

झारखंड में विद्युत सुधार

476. श्री महेश पोद्दारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत ढाई वर्ष के भीतर देश में विद्युत एवं ऊर्जा सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2019 तक सबको बिजली मुहैया कराने की योजना बनाई गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उपर्युक्त के संबंध में झारखंड में हुई प्रगति, निर्धारित लक्ष्य तथा भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विगत ढाई वर्षों के दौरान देश में विद्युत क्षेत्र में सुधार के क्षेत्र में कई पहलें शुरू की गई हैं। ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : वर्ष 2019 तक सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए **"सौभाग्य"** स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम में 31 मार्च, 2019 तक देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण की व्यवस्था है। "सौभाग्य" स्कीम का कुल परिव्यय 16,320 करोड़ रुपये है जिसमें भारत सरकार से 12,320 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 15 जनवरी, 2018 तक देश में कुल 18.10 करोड़ ग्रामीण घर हैं; इनमें से कुल 14.16 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए हैं और 3.93 करोड़ घर गैर-विद्युतीकृत हैं। जहाँ तक झारखंड का संबंध है 15 जनवरी, 2018 तक कुल 54.86 लाख ग्रामीण घर हैं जिनमें से 24.76 लाख घर विद्युतीकृत किए गए हैं और शेष 30.10 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों को "सौभाग्य" स्कीम के अंतर्गत विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है।

*** *** ***

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.476 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

***** *** *****

<u>विद्युत क्षेत्र में सुधार</u>

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए विभिन्न पहलें शुरू की हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

I. भारत सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध करा के तथा विद्युत कनेक्शनों के द्वारा सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए 11 अक्तूबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की है।

II. भारत सरकार द्वारा पर्याप्त और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति देने तथा लाइन की हानियों को कम करने के लिए विद्युत उप पारेषण और वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण और कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए दो स्कीमें शुरू की गई थी अर्थात् दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)।

III. भारत सरकार ने राज्यों की भागीदारी में सभी (पीएफए) के लिए 24X7 विद्युत उपलब्ध कराने के वास्ते राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने के पहल की शुरुआत की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएफए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है और यह कार्यान्वयनाधीन है।

IV. केंद्र सरकार ने 28 जनवरी, 2016 को संशोधित प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य सभी के लिए विद्युत सुनिश्चित करना, सस्ते प्रशुल्क सुनिश्चित करने की दक्षता, पर्याप्त निवेश आकृष्ट करने के लिए स्थायी भविष्य और व्यापार में सुविधा के लिए वातावरण तैयार करना तथा वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है।

V. सरकार ने 04 मई, 2016 को "विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाना" अधिसूचित किया है। राज्य अपने कोयले का इस्तेमाल स्वयं के विद्युत केंद्रों से उत्पादन के लागत की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती लागत पर किसी अन्य कुशल उत्पादन केंद्रों से समतुल्य विद्युत लेने के लिए कर सकते हैं।

VI. डिस्कॉमों द्वारा विद्युत की खरीद में एकरूपता और पारदर्शिता लाने तथा विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए एक वेब पोर्टल ई-बिडिंग अर्थात् "दीप (डिस्कवरी ऑफ एफिसिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) पोर्टल" 12 अप्रैल, 2016 को शुरू किया गया जिसे ई-बिडिंग द्वारा अल्पकालिक और मध्यकालिक विद्युत खरीद आवश्यकताओं तथा आईपीपी स्टेशनों में कोयले के उपयोग में लचीलेपन के प्रयोग के लिए किया जा सकता है।

VII. सरकार ने विद्युत मूल्य निर्धारण और उपलब्धता विशेषताओं पर मोबाइल एप "विद्युत प्रवाह" 31 मार्च, 2016 को शुरू किया। इस अनुप्रयोग में वास्तविक समय आधार पर देश में विद्युत की उपलब्धता को रेखांकित किया गया है।

VIII. वेब पोर्टल का विकास और मोबाइल अनुप्रयोग की शुरुआत 'मेरिट' (मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजुवेनेशन ऑफ इंकम एंड ट्रांसपेरेंसी) के नाम से 23 जून, 2017 को की गई थी जिसमें राज्यों द्वारा खरीद की गई बिजली के मेरिट ऑर्डर के संबंध में जानकारी प्रदर्शित की जाती है।

IX. दिनांक 03 अगस्त, 2017 के संकल्प के माध्यम से ग्रिड से संबंद्ध सोलर पीवी पावर परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

X. दिनांक 08 दिसंबर, 2017 के संकल्प के माध्यम से ग्रिड से संबद्ध विंड पावर परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

XI. भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य मांग प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

*** *** ***

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-477

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का बंद किया जाना

477. श्री राजकुमार धूतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सरकार को प्रदूषण करने वाले देश के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को बंद करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) और पार्टिकुलेट मैटर के लिए 07.12.2015 को अधिसूचित नए और संशोधित नए उत्सर्जन मानकों को कार्यान्वित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को 2018 से 2022 की समय-सीमा में नए मानकों का अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी करने का निदेश दिया। तदनुसार, सीपीसीबी ने 650 यूनिटों में से 414 यूनिटों तक निदेश जारी किए हैं। इस प्रकार, अभी तक इस आधार पर किसी विद्युत संयंत्र को बंद करने का निर्देश जारी नहीं किया गया है। 650 यूनिटों में से 82 यूनिटों ने स्वयं की बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें से, 43 यूनिटें पहले ही बंद हो गई हैं।

*** *** ***

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-478

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

उदय योजना

478. श्री देरेक ओब्राईनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अब तक उज्ज्वल डिस्काम अस्योरेंस योजना (उदय) स्कीम में शामिल हो चुके हैं और इस स्कीम में शामिल नहीं होने वाले उन राज्यों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश की सभी निजी वितरण कंपनियों ने स्वयं को उदय स्कीम में शामिल किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) क्या निजी वितरण कंपनियों के इस सूची में शामिल किए जाने के पश्चात् राज्य सरकारों पर भार पड़ा है, उन्हें शामिल किए जाने के पहले और बाद में वहन किए गए भार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : अब तक कुल मिलाकर सत्ताईस (27) राज्यों और चार (04) संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव और पुडुच्चेरी ने उज्ज्वल डिस्कॉम अस्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह स्कीम राज्यों हेतु वैकल्पिक है। अभी तक पश्चिम बंगाल राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र स्कीम में शामिल नहीं हुए हैं। विद्युत मंत्रालय ने लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का उदय में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ओडिशा राज्य ने प्रचालनात्मक दक्षता सुधारों के लिए भाग लेने पर अपनी इच्छा जताई है।

(ख) और (ग) : उदय केवल राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के लिए लागू है। इसलिए, प्रश्न नहीं उठता।

*** *** ***

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-479

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

तूतीकोरीन को नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के अंतर्गत शामिल किया जाना

479. श्रीमती शशिकला पुष्पाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा घोषित नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तूतीकोरीन शहर को स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत में स्मार्ट ग्रिड कार्यकलापों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना और निगरानी के लिए 980 करोड़ रुपये के परिव्यय और 338 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से भारत सरकार ने 2015 में नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) स्थापित करने की मंजूरी दी है। स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की परियोजना लागत का 30% एनएसजीएम बजट से उपलब्ध कराया जाएगा जबकि शेष परियोजना लागत यूटिलिटियों द्वारा लगाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं में स्मार्ट मीटरिंग, डिस्ट्रिब्यूशन ऑटोमेशन तथा रिमोर्ट मॉनिटरिंग, डिमांड रिस्पांस, माइक्रो ग्रिड, कैपेसिटी बिल्डिंग आदि सहित कई तत्व शामिल हैं।

नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के अंतर्गत चंडीगढ़, महाराष्ट्र के अमरावती और कांग्रेस नगर (नागपुर) तथा कानपुर शहर के लिए लगभग 578 करोड़ रुपये की लागत पर 4 स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) से (घ) : एनएसजीएम के अंतर्गत यूटिलिटियों को स्मार्ट ग्रिड के प्रस्ताव, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जाने होते हैं। अब तक, एनएसजीएम के अंतर्गत विचारार्थ तूतीकोरीन के लिए कोई स्मार्ट ग्रिड परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*** *** ***

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-480

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता

480. श्री के. भावानंद सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उत्पादित होने वाला विद्युत देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना पर्याप्त है;

(ख) क्या सरकार स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण सभी संभावित तरीकों से विद्युत का उपयोग करने को प्राथमिकता देती है; और

(ग) वर्ष 2022 तक विद्युत की संभावित मांग और उन वर्षों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वर्तमान में देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 333 गीगावाट **(**जीडब्ल्यू**)** है जो ग्रिड में लगभग 165 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) : बायोमास विद्युत संयंत्रों तथा गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन संयंत्रों**,** जिनका प्रशुल्क सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है**,** को छोड़कर भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर स्टेशनों तथा सभी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को "मस्ट रन" विद्युत संयंत्र माना जाता है और 'मेरिट ऑर्डर डिस्पैच' सिद्धांतों के अध्यधीन नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त**,** डिस्कॉमों को अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करना होता है। इस प्रकार**,** संभव सीमा तक विद्युत के प्रयोग के लिए स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई है।

(ग) : 19वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान अखिल भारतीय आधार पर वैद्युत ऊर्जा मांग और व्यस्ततम विद्युत मांग पहले ही 3,33,550 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के लिए क्रमश: लगभग 15,66,023 मिलियन यूनिट और 2,25,751 मेगावाट होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त**,** परंपरागत स्रोतों से लगभग 58,384 मेगावाट की उत्पादन क्षमता निर्माणाधीन है और भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हासिल किए जाने हेतु 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है।

*** *** ***